

इसे वेबसाइट www.govt_pressmp.nic.in से
भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 474]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 8 अक्टूबर 2013—आश्विन 16, शक 1935

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 8 अक्टूबर 2013

शुद्धि-पत्र

क्र. -21-अ(प्रा).—शुद्धि-पत्र “मध्यप्रदेश राजपत्र” (असाधारण), क्रमांक 452, दिनांक 25 सितम्बर, 2013 में प्रकाशित की गई इस विभाग के शुद्धि पत्र में नीचे दी गई सारणी के कालम (1) में वर्णित उन शब्दों के स्थान पर, जो कि उक्त सारणी के कालम (2) में वर्णित पृष्ठ तथा पंक्ति में आए हैं, उक्त सारणी के कालम (3) की तत्संबंधी प्रविष्टि में दिए गए शब्द पढ़े जाएँ :—

सारणी

अशुद्ध मुद्रित हुआ शब्द (1)	राजपत्र के पृष्ठ तथा पंक्ति जिसमें वह शब्द आए हैं (2)	शुद्ध शब्द जो पढ़ा जाए (3)
	पृष्ठ	पंक्ति
राजेश यादव, उप सचिव	903	14

राजेश यादव, अपर सचिव.